<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री हर प्रसाद निरंजन, 929, टी0 वी0 हॉस्पिटल के सामने जीवन शाह तिराहा, ग्वालियर रोड, झॉसी ।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**036 / 14, 09.06.2014**
प्रार्थी की ओर से	**श्री आकाश निगम, विद्वान अधिवक्ता ।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

सर्वश्री हर प्रसाद निरंजन, 929, टी0 वी0 हॉस्पिटल के सामने जीवन शाह तिराहा, ग्वालियर रोड, झॉसी द्वारा दिनांक 09.06.2014 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा Wax Strips (Simple Cloth cut size pieces without stitching / Chemicalization / Wax Etc.) पर, वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर की दर जाननी चाही गयी है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री आकाश निगम, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि Wax Strips उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, की प्रविष्टि संख्या-21 के अन्तर्गत Fabrics की भॉति करमुक्त होना चाहिए ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, झॉसी जोन, झॉसी द्वारा पत्र संख्या-749, दिनांक 17.07.2014 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि सैम्पल की जॉच पर इसमें किसी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं पाया गया है परन्तु व्यवसायिक जगत में यह वस्तु वैक्स स्ट्रिप्स के रूप में खरीदी व बेची जाती है। व्यापारी स्वयं भी इसको वैक्स स्ट्रिप्स के रूप में बेचते हैं न कि कपड़े के रूप में । इस वस्तु का उपयोग सीमित है तथा इसका एक मात्र उपयोग वैक्स को हटाने में किया जाता है । कामन पारलेन्स में भी इसे कपड़ा नहीं समझा जाता है । यह वस्तु उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं है । अत: इस पर अवर्गीकृत वस्तु की भॉति 12.5% की दर से करदेयता है ।

प्रार्थी द्वारा सुनवाई के समय तथा प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत सैम्पल की जॉच एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर के माध्यम से कानपुर स्थित उ0 प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान से करायी गयी । उक्त संस्थान द्वारा अपने पत्र संख्या-983, दिनांक 31.07.2014 से प्रेषित जॉच रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि ‘‘ जॉच हेतु प्रस्तुत सैम्पल एक विशेष प्रकार का Fabrics है जिसे Non Woven कहा जाता है । जॉच हेतु प्रस्तुत सैम्पल अनुसूची-I के क्रमांक-21 पर उल्लिखित किसी भी Fabrics से मिलता-जुलता नहीं है । ’’

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-21 की प्रविष्टि निम्न भॉति है :-

Silk Fabrics; Handloom cloth of all kinds; handloom shawls & lois whether plain, printed, dyed or embroidered; Dhoties and Saries; textiles of following varieties manufactured on powerloom excluding the items described in schedule-II:-
(a) cotton fabrics of all varieties;
(b) rayon or artificial silk fabrics, including staple fibre fabrics of all varieties
(c) woolen fabrics of all varieties;
(d) fabrics made of a mixture of any two or more of the above fibres, viz. cotton, rayon,artificial silk, staple fibre or wool, or of a mixture of any one or more of the said fibres with pure silk fibre;
(e) canvas cloth

उ0 प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत White Wax Strips उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-21 में वर्णित Fabrics के अन्तर्गत नहीं आता है। संस्थान की रिपोर्ट में इसे Non Woven Fabrics बताया गया है। स्पष्ट है कि प्रस्तुत सैम्पल उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के अन्तर्गत करमुक्त श्रेणी में नहीं है। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-119 पर प्रविष्टि निम्नवत है :-

Narrow woven fabrics, Non-woven fabrics, Cotton Coated fabrics

इस प्रविष्टि में उल्लिखित Non Woven Fabrics से प्रस्तुत सैम्पल आच्छादित है। अत: इस पर उक्त प्रविष्टि के अन्तर्गत 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, झॉसी जोन, झॉसी द्वारा प्रेषित आख्या, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सैम्पल तथा सैम्पल के सम्बन्ध में उ0 प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर द्वारा प्रेषित जॉच रिपोर्ट दिनांक 31.07.2014 का अवलोकन किया गया। पाया गया कि Non Woven Fabrics से एक निश्चित आकार में काट कर Wax Strips की खुले बाजार में बिक्री की जाती है। इसमें किसी प्रकार की सिलाई, इन्टर लाकिंग अथवा बटन इत्यादि का प्रयोग नहीं हुआ है। इस प्रकार विचाराधीन वस्तु उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-119 पर अंकित प्रविष्टि ‘‘ Narrow woven fabrics, Non-woven fabrics, Cotton Coated fabrics " से आच्छादित है तथा Non Woven Fabrics होने के कारण इस पर 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 07 अगस्त, 2014

ह0 / 07.08.2014
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।